



सराहनीय कार्य

इट्टावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 20.05.2026

- मिशन शक्ति अभियान के तहत इट्टावा पुलिस की बड़ी सफलता ।
- चोरी की घटना का सफल अनावरण
- घर में चोरी करने वाली घरेलू सहायिका (नौकरानी) गिरफ्तार, ₹76,700/- नगद व लेनदेन संबंधी रसीद बरामद ।

पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इट्टावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत बालिकाओ/महिलाओं को जागरूक करने तथा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इट्टावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन मे आज दिनांक 20.05.2026 को थाना सिविल लाइन मिशन शक्ति टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 12/2026 से संबंधित चोरी की घटना कारित करने वाली महिला, सिया देवी हॉस्पिटल कट हाईवे के पास मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में खड़ी है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर हाईवे रोड कट के पास से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में अपना नाम रूचि पत्नी ज्वाल सिंह कठेरिया निवासी ग्राम नगला उदई थाना सिविल लाइन जनपद इट्टावा बताया। अभियुक्ता के कब्जे से ₹76,700/- नगद, एक आधार कार्ड एवं ₹70,000/- जमा किए जाने संबंधी लेनदेन रसीद बरामद हुई।

बरामदगी के संबंध मे पूछताछ करने पर बताया कि वह मिथलेश सक्सेना पत्नी ज्ञानेन्द्र मोहन सक्सेना निवासी शिवा कॉलोनी, निकट भूप उत्सव गार्डन थाना सिविल लाइन जनपद इट्टावा के घर पर सहायिका के रूप मे घरेलु कार्य करती थी। माह दिसंबर 2025 में मैने घर में रखे चार सोने के कंगन, दो गले के हार, एक मंगल सूत्र, एक सोने की चेन, एक लेडीज अंगूठी तथा एक जोड़ी चांदी की पायल को धीरे-धीरे चोरी कर लिया था तथा चोरी किए गए जेवरातों को सुनारों एवं अन्य राह चलते लोगो को बेच दिया था और बताया कि मेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हो गई थी, जिसके प्रभाव में आकर मैने चोरी के जेवरात बेचकर प्राप्त धनराशि को विभिन्न खातों/बारकोड के माध्यम से ट्रांसफर कर दी थी तथा शेष बची धनराशि को लेकर मै दिल्ली जाने की फिराक में थी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रूचि पत्नी ज्वाल सिंह कठेरिया निवासी ग्राम नगला उदई थाना सिविल लाइन जनपद इट्टावा उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी:-

1. ₹76,700/- नकद
2. अभियुक्ता का आधार कार्ड
3. 70,000/- रुपये की लेन - देन की रशीद ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 12/2026 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्रा थाना सिविल लाइन, उ0नि0 सुरेश चन्द्र, हे0का0 जीतू सिंह, का0 रामनरेश, म0का0 अंजना, म0का0 खुशी वर्मा ।